



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226169
CG-DL-E-26032021-226169

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]
No. 21]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

आ.अ. 23(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (सी) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 के संदिग्ध या उससे प्रभावित व्यक्ति जो डाक मतपत्र से मतदान करने का अनुरोध करते हैं, और जिसके अनुरोध को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सत्यापित किया जा चुका है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-IIIक के उपबंधों, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 1964 (अ.), दिनांक 19 जून, 2020 के जरिए यथा-संशोधित, और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए राज्य में लोकसभा एवं विधानसभा के वर्तमान उप-निर्वाचन में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों के वर्ग होंगे।

[सं. 52/2021/एसडीआर/खंड I]

आदेश से,

एन. टी. भूटिया, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2021

O.N. 23(E).—In pursuance of the provisions of clause (c) of Section-60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the Covid-19 suspect or affected persons, certified by competent authority, who applies for voting by postal ballot paper, and subject to verification of his request by the Returning Officer concerned, would be a class of persons to give vote by postal ballot in the current bye elections to the House of the People and Legislative Assembly in the State notified under Section 30 of Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification S.O. No. 1964(E), dated 19th June, 2020 read with the directions and guidelines issued by the Election Commission on the subject.

[No. 52/2021/SDR/Vol.I]

By Order,

N. T. BHUTIA, Secy.